

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/TAF/2020-21/20460

दिनांक : 18/3/2021

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा-समस्त जिले।

विषय : शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र (TAF) सत्र 2020-21 हेतु आवंटित बजट के उपयोग के संबंध में।

सन्दर्भ :- रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/TAF/2020-21/13934 दिनांक : 20.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख हैं कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अन्तर्गत राज्य में कार्यरत माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों/संस्थाप्रधानों के कार्यों का स्व मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाईयों व चुनौतियों के आंकलन एवं शिक्षण प्रशिक्षणों का डेटा बेस तैयार किया जाना है।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2020-21 में PINDICS मद में संदर्भित पत्रांक द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देश के क्रम में सीआरसी स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों की कार्य की समीक्षा हेतु प्रति शिक्षक/संस्थाप्रधान 50/- रु. का प्रावधान है। यह राशि सीआरसी स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक संबंधी व्यवस्थाओं हेतु प्रति शिक्षक उपयोग में ली जानी है। उपलब्ध कराई गई यह राशि किसी भी शिक्षक/संस्थाप्रधान को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपलोड करने हेतु हस्तान्तरित नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।

(श्याम सतीश)
उपायुक्त-द्वितीय

क्रमांक-रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/TAF/2020-21/20460 दिनांक 18.3.2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
3. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम/द्वितीय) समग्र शिक्षा।
4. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
6. पीईईओ, समस्त।
7. कार्यालय प्रति।

(श्याम सतीश)
उपायुक्त-द्वितीय